

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- आ. मुख्यमंत्री योजना संख्या 492/2014 के अन्तर्गत जनपद
कुल्होश में विधान सभा क्षेत्र सख्त में ग्रहण्ड हरिसिंह मोटर मार्ग होलुधानी
से रतखाल तक जोटर संपी 5.625 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम होलुधानी
तहसील स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना
के निर्माण हेतु (2.160 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.180 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.180 हे०)
वन पंचायत भूमि (0.180 हे०) अर्थात् कुल 2.520 हे० वन भूमि का 57.00
जोड़ निवेश विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत होलुधानी द्वारा दिनांक 22.11.14 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम होलुधानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
जोड़ निवेश विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/ सिद्धांत
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र होलुधानी
विकास खण्ड स्याल्दे (अल्मोड़ा)

देवा देवी
हो/ 4
ग्राम प्रधान
क्षेत्र होलुधानी
विकास खण्ड स्याल्दे (अल्मोड़ा)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 22-4-96 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तालबघानी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|--------------|
| 1 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 2 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 3 | बालम सिंह | बालम सिंह |
| 4 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 5 | दिवान सिंह | दिवान सिंह |
| 6 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 7 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 8 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 9 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 10 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 11 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 12 | गोबिन्द सिंह | गोबिन्द सिंह |
| 13 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 14 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 15 | गोबिन्द सिंह | गोबिन्द सिंह |
| 16 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 17 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 18 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 19 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 20 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 21 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 22 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 23 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 24 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 25 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 26 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 27 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 28 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |
| 29 | द्वारा सिंह | द्वारा सिंह |
| 30 | श्रीम सिंह | श्रीम सिंह |

ह0/हैजा देवी

ग्राम प्रधान

प्रमाण

ग्राम पंचायत तालबघानी

रा0- आ0 मानवा

रा0 रा0 स्यान्डे (बल्मोहा)

प्रपत्र-23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, हयग

उपखण्ड

वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2520 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्थाले) की दिनांक 24-06-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति

अधिनियम 2008 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- हम-कर्म

-सपजिलाधिकारी

अध्याय

श्री पौ. के. रे. रे.

-सप प्रभागीय वनाधिकारी

सदस्य

श्री विश्वनाथ

-सहायक समाज कल्याण अधिकारी

सदस्य / सचिव

श्री जयमरुत

-बी०डी०सी० क्षेत्र

गोसुधानी

-सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

भूमि

प्रान्तीय खास जोर क निर्माण विभाग

124N

संबंधित सप. प्रभागीय वनाधिकारी: ११/११/१९

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु 2.270
80 वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी का जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद—

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद—

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद अहमदाबाद में राष्ट्रीय हरित कैंप के तहत लेबलुधानी से
रखवाला तक गिरगार का नव निर्माण ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अहमदाबाद के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त

परियोजना के निर्माण हेतु 2:520 हे० वन भूमि ले.नि.वि. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को
प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 06-02-2013 के द्वारा
रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाइन, ओ०एफ०सी०/केबिल व
पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से
मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर
आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय
(Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अहमदाबाद
जिला विकास अधिकारी
अहमदाबाद

अहमदाबाद
जिलाधिकारी

जिला अधिकारी
अहमदाबाद

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin. Bansal..., I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date...22.7.2016.....at time.....at Almora in which application claiming rights of.....area measuring 2.520 hect. for the Construction of motor. Road From. Taulbhadhar to Ratkh forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :



जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

| S.N. | | Ramarks |
|------|---|---|
| (a) | The complete process for identification settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2:20S..het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers. |
| (b) | The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) fo the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers There is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers. |

Encl : As above

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- जनपद-अल्मोड़ा में शहीद हरी सिंह के ग्राम
तौलकुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० 22-7-2016 के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित उपरोक्त

मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 है०

वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

8/6-2017
जिलाधिकारी

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that...2:520...hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Shahid Hari Singh village-Taulbudhani to Rakkhal Motor Road.....
(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Taulbudhani village(s) in Syalde Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2:520 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

[Signature]
जिला सहाय सचिव का कार्यालय
अल्मोड़ा

[Signature]
22/07/2017
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)